

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०:- 66/2021

इस कार्यालय के पत्रांक-का/283/VI/अंतर रेलवे मंडल/स्था०/विद्युत/सोन-। दिनांक-07.12.2020 एवं मरेप्र (का०) वाराणसी मंडल, पूर्वोत्तर रेलवे के पत्र सं०-ई/एल/283/अरेअम/स्थ/विद्युत/17(लूज), दिनांक-11.10.2020 द्वारा श्री आदित्य कुमार ,हेल्पर,वि०(पावर)/बरौनी, एवं श्री संजय प्रसाद सिंह, वि० हेल्पर /पावर/बलिया/वाराणसी मंडल के साथ जी.पी.-1800 लेवल-01 में अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनों रेल/मंडलों की सहमति प्राप्त है। अतः रेल परिषद के पत्र सं०-ई/एनजी/1/2017/टीआर/24 दिनांक-09.05.18 के आलोक में श्री आदित्य कुमार ,हेल्पर,वि०(पावर)/बरौनी को पारस्परिक स्थानान्तरण पर वाराणसी मंडल विरमित किया जाना है। कर्मचारी को निम्न शर्तों के साथ इस कार्यालय को विरमित किया जाए।

1. विरमन के समय कर्मचारी डीएआर/एस०पी०ई० मामलों से मुक्त होना चाहिये।
2. नियमानुसार दोनों कर्मचारियों को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
3. नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
4. वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा। उपरोक्त पर वमंविई/सा०/सोनपुर महोदय द्वारा आदेशित है।

(विजय इंजीनियर),

सकाधि- III

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का०)/सोन,

दिनांक:-27.01.2021

पत्र सं०-का/283/VI/अंतर रेलवे मंडल/स्था०/विद्युत सोन
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित:-

1. वमंविई/सोनपुर।
2. वमंयाई/सोनपुर।
3. वमंविप्र/सोनपुर।
4. मरेप्र(का०)वाराणसी मंडल/पूर्वोत्तर रेलवे।
5. सी०से०ई०(गाड़ी प्रकाश)/सोनपुर,हाजीपुर,बरौनी,मानसी एवं थानाबिहपुर।
6. संबंधित कर्मचारी।
7. अभिलेख प्रति।
8. मंडलमंत्री/ईसीआरकेयू, अजा, अजजा, एवं ओ०बी०सी० एषो सोनपुर मंडल।

कृते मंडल रेल प्रबंधक(का०)/सोन,